न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/18

1. रामगोपाल पुत्र लाभूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडीबी 'बी8 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

बनाम .... प्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल
2. रोशनी पुत्री स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
3. राकेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
4. राजेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदेश **दिनांक :– 11.02.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संघ शिविर में पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/22 के किला न0 5 ता 7 एवं 13 ता 24 तादादी 10.12 बीघा एवं मु0न0 114/23 के किला न0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 01.16 बीघा एवं मु0न0 114/30 के किला नं0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 2.5 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 14.13 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के कटानशुदा सड़क से सुविधाजनक रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 से होकर अपने किला नं0 21 में प्रवेश करता है। चूंकि मु0नं0 114/14 के किला नं0 1,10,11,20,21 में पक्की सड़क बनी हुई है एवं मु0नं0 114/14 अप्रार्थी कि पिता

के नाम दर्ज है जो फौत हो चुके है इसलिए काबिज वारिसों को पक्षकार बनाया गया है न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 28.03.2019 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 31.10.2019 को प्रार्थी अधिवक्ता ने आपति जाहिर की लम्बे समय से अप्रार्थी जवाब नहीं दे रहे है। अतः जवाब बन्द करने का निवेदन किया । जिसपर न्यायहित में अप्रार्थीगण को 05.11. 2019 तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया लेकिन फिर भी जवाब अप्रार्थी नहीं आने पर बहस एकतरफा सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि 3 टुकड़ो में दर्ज कागजात है। और चारों तरफ से कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा किसी भी दिशा से रास्ता की दूरी तकरीबन 5 बीघा ही पड़ती है और पक्की सड़क पर आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चित 2–2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्म हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि मु0न0 114/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में भी कटानशुदा रास्ता है और उसके बाद मु0न0 114/22 के किला नं0 1 ता 5 व 7 ता 13 व 19 ता 20 तादादी 11.5 बीघा देवीलाल पुत्र लाभूराम के नाम दर्ज है। वहां से रास्ता प्राप्त करे तो उचित है। इसप्रकार प्रार्थी का कथन है कि देवीलाल ने अपने खेत की सींव पर बड़ी डिग्गी व मकान बना रखे है। तथा रास्ता कटान 5 बीघा लम्बा ही होना है।

चाहे 114/21 से हो या 114/14 से दूरी दोनो की समान है। जिसमें 114/14 से रास्ता मिलता है तो प्रार्थी अपने मु0न0 114/23 व 114/30 में भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला कोा आदेश किया जाता है कि चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **11.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)